

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2018/2799


दिनांक : 26/12/2018

ऑडिट कमेटी बैठक सम्बन्धी सूचना

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 04-01-2019 को सांय 4:30 बजे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में मीटिंग हॉल कमरा नं0 C-205 प्रथम तल, एन.एच.एम. में आयोजित की जानी है। अतः कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारी मय सूचना/अभिलेख सहित बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

क्रम सं0	बैठक के विचारणीय बिन्दु
1.	गत बैठक दिनांक 26-09-2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
2.	महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की 30-11-2018 तक की स्थिति।
3.	तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैराज की स्थिति।
4.	भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के पैराज की स्थिति।
5.	जनलेखा समिति की सिफारिशों की स्थिति।
6.	अंकेक्षण आपत्तियां (ओ.बी. आईटम्स)।
7.	गबन/दुर्विनियोजन/चोरी के मामले।
8.	निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, विशेष जांच प्रतिवेदन एवं विभागाध्यक्षों के आन्तरिक जांच प्रतिवेदन की अनुपालना स्थिति।
9.	अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंकेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलें।

कृपया समस्त विभागाध्यक्ष राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक के लिए अपने अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा, सूचनाओं का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 31-12-2018 तक भिजवाने का कष्ट करें, ताकि एजेण्डा महालेखाकार कार्यालय को बैठक से पूर्व भिजवाये जा सके।


वित्तीय सलाहकार


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2018/2799

दिनांक : 26/12/2018

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर निवेदन है कि कृपया बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, (जी.एस.एस.ए.), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, लि0 जयपुर।
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी.एस.एस.ए.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, ए. ब्लॉक, चतुर्थ तल, आर.सी.दवे. मार्ग, राज., जयपुर।
8. निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
9. निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
10. निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी), मुख्यालय।
12. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
15. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, (जी.एस.एस.ए.-II), प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
18. निदेशक (वित्त), एन.आर.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
19. वित्तीय सलाहकार, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
20. मुख्य लेखाधिकारी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
21. मुख्य लेखाधिकारी (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, मुख्यालय।
22. नोडल ऑफिसर, आर.एच.एस.डी.पी. मुख्यालय।
23. रक्षित पुत्रावली।
24. प्रभारी सर्वर रक्षक मुख्यालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का काम करवावे।


वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर